उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः–3057–औसं/पाकालि/2017–11(12)ए0एस0/06 दिनाँक 19 जुलाई, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरों, जो कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org/Medical पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश संख्या–4452–औस–17/पाकालि/2009, दिनांक 09.12.2002 सपठित आदेश संख्या–3464–औसं/2017/पाकालि/2003 दिनांक 09.07.2003, आदेश संख्या–3593–औस–17/पाकालि/2003 दिनांक 21.07.2003 एवं आदेश संख्या–2691–औसं/पाकालि/2016 दिनांक 29.06.2016 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लेसा), मध्यॉंचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ के पत्र संख्या–1229–मु0अ0/लेसा, दिनांक 07.06.2017 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति एवं अन्य अभिलेख तथा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रदत्त पंजीकरण संख्या–HOS/16/540 वर्ष 2016 जो दिनांक 01.05.2017 से 30.04.2018 तक नवीनीकृत है, के परिप्रेक्ष्य में **"प्रिसीजन यूरोलॉजी हॉस्पिटल, 652बी/37 प्रताप नगर रिंग रोड, टेढ़ी पुलिया, पोस्ट–विकास नगर, लखनऊ फोन नं0–0522–2732020 को कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी0जी0एच0एस0–2006 की मानक दरों पर (एकल विशिष्टता यूरोलॉजी सम्बन्धी उपचार हेतु) एतद्द्वारा दिनांक 30.06.2018 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है"।**

उपर्युक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या–2088–एन0जी0–2/एस0ई0बी0(चार) 29–एन0जी0–2/78, दिनांक 24.05.78 में निहित प्राविधानों एवं शर्तो के अधीन अनुमन्य होगा।

1– अस्पताल को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।

2– चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि "उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 30.06.2018 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय"।

3– चिकित्सालय को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन के वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, शक्ति भवन को भेजनी होगी :–
   (क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग।
   (ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।
   (ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि।
   (घ) कार्मिक का वेतनमान।
   (ड़) रोग का नाम (डाइग्नासिस)।
   (च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।

4– कारपोरेशन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह कारपोरेशन की बेब साइट **www.uppcl.org/Medical** पर दर्शायी गयी दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।

5– यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के बीजकों में भोजन की मद हेतु रू0 50/– प्रतिदिन की कटौती कर ली जाएगी।

6– निर्धारित/अनुमोदित दरों से विचलित होने पर सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

....2.../–

MEDICAL/678

संख्याः–3057–(1) औसं–पाकालि / 2017–तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :–

1– अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।

2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।

3– निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) / (वितरण) / (वित्त) / (वाणिज्य) / (कारपोरेटर प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

4– निदेशक (का0प्र0) ट्रांसको, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

5– प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यॉंचल, लखनऊ / पूर्वान्चल, वाराणसी / पश्चिमांचल, मेरठ / दक्षिणॉंचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।

6– अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग / जॉच समिति–प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

7– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

8– समस्त मुख्य अभियन्ता वितरण, को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।

9– महाप्रबन्धक (औ0सं0) / समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

10– समस्त अपर सचिव / संयुक्त सचिव / मुख्य महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक (लेखा / वित्त), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

11– समस्त अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव–प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

12– अधिशासी अभियन्ता(वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org-Medical** पर अपलोड करने हेतु ।

13– सलाहकार (चिकित्सा) (उत्पादन निगम), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

14– प्रबन्धक, प्रिसीजन यूरोलॉजी हॉस्पिटल, 652बी / 37 प्रताप नगर रिंग रोड, टेढ़ी पुलिया, पोस्ट–विकास नगर, लखनऊ।

15– मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।

16– सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।

17– कट फाइल।

Nat Mathur 19.7.17

(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी